कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चयनोपरान्त श्रीमती रेणु चौधरी का पदस्थापन व्याख्याता इतिहास के पद पर आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–2/ नियुक्ति–इतिहास/ पीएससी–13/2016 दिनांक–17.03.2016 द्वारा राउमावि घाणा–जालौर में किया गया। अपने पदस्थापन आदेश के विरूद्व श्रीमती रेणु चौधरी ने माननीय उच्च नयायालय जोधपुर में याचिका संख्या 5381/2016 रेणू चौधरी बनाम सरकार दायर की। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.16 में याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और पेश किए जाने की स्थिति में उसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (Reasoned Speaking order) द्वारा निस्तारित किए जाने संबंधी आदेश प्रदान किए गए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी रेणु चौधरी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में यह अभिकथन किया गया है कि उसने आवेदन ओबीसी विधवा श्रेणी में किया था,फिर भी उसे प्रतिबंधित जिले जालौर में नियुक्ति दी गई,जबकि उसे कम मेरिट वालों को गृह जिला दिया गया। अतः याचिकार्थी द्वारा अपने गृह जिले जोधपुर में पदस्थापित करने हेतु अभिकथन किया गया है। याचिकार्थी ने निम्न राउमावि विद्यालयों में इतिहास व्याख्याता के रिक्त पद राउमावि हुसनमंडी–जोधपुर व राउमावि भंटिडा–जोधपुर पर पदस्थापन हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

याची के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन व मनन करने तथा उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर याची के मांग के विषय में स्पष्ट है कि याची का पदस्थापन काउसलिंग के द्वारा किया गया, जिसमें याची को उसकी वरियता के अनुसार पदस्थापन स्थान चयन करने का अवसर मिला, उसी क्रम में याची ने अपना पदस्थापन स्थान चयन किया एवं विकल्प पत्र प्रस्तुत किया। काउसलिंग के लिए रिक्त पदों का निर्धारण विभाग की आवश्यकतानुसार किया जाता है। विभाग की आवश्यकता प्रथम वरियता है। व्याख्याता का पद राज्यस्तरीय पद है, व्याख्याता का पदस्थापन राज्य में छात्रहित अथवा लोकहित में किसी भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कहीं भी किया जा सकता है। याची का अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है।

सभी पक्षकार सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आइ.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–2/कोके/याचिका सं0 5381/2016/रेणु चौधरी
दिनांक– 17/7/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि)जोधपुर/अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
4. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर